जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांक: एफ- 31(30)(सु.प.)जविप्रा / राम / विविध / 05 / डी- 3146   दिनांक- 10/6/08

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राधिकरण में नियुक्त लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध निस्तारण एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों के शीघ्र निस्तारण हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकिया लागू की जाती है-

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) एवं प्रथम अपील धारा 19(1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों की मोनेटरिंग के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था की गई है। भविष्य में प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्र धारा **6(1)** एवं प्रथम अपील धारा 19(1) प्राधिकरण में कार्यरत नागरिक सेवा केन्द्र मे **इस कार्य हेतु** स्थापित आर.टी. आई. **काउण्टर के माध्यम से ही** प्राप्त किये जाएंगे। **फिर भी यदि लोक** सूचना अधिकारी को सीधे धारा 6(1) के आवेदन **प्रस्तुत** किये **जाते है तो वे उसे आवश्यक** रूप में आर.टी. आई. काउण्टर पर दर्ज करवायेंगे।
2. प्राधिकरण की सामान्य पत्र प्राप्ति शाखा द्वारा डाक से प्राप्त धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र एवं प्रथम अपील धारा 19(1) में प्राप्त होने पर **समन्वय** शाखा को अग्रेषित की जावेगी एवं समन्वय शाखा द्वारा ऐसे प्रकरणों को उक्त आर.टी.आई. काउण्टर पर दर्ज करवाकर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भिजवाई जायेगी।
3. आर.टी.आई. काउण्टर नागरिक सेवा केन्द्र के निर्धारित समय में ही कार्य करेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र कमांक प–3(25)गृह–6/06 दिनांक 07.05.08 द्वारा प्राधिकरण में पूर्व में नियुक्त 22 लोक सूचना अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, जयपुर विकास **प्राधिकरण** को प्रथम अपील अधिकारी **नियुक्त** किये जाने के प्राधिकरण के आदेश **कमांक प–14(25)जविप्रा / संस्था / 2000 दिनांक** 21.04.07 तथा **समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.07** एवं 05.03.08 की **पुष्टि की** जा चुकी है / **लोक प्राधिकरण की** अधिकारिता **स्थापित** की है। अतः भविष्य में **धारा 6(1)** के आवेदन पत्र **संबंधित लोक सूचना अधिकारी** के नाम ही **सम्बोधित होंगे जबकि** प्रथम अपील सचिव, जविप्रा के नाम **सम्बोधित की** जावेगी। **नागरिक सेवा केन्द्र पर स्थापित** आर.टी.आई. **काउण्टर में एक** आर.टी.आई. काउन्सलर, **एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर** तथा एक **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** पदस्थापित **किये** जावेगें जिन पर **प्रशासनिक नियंत्रण** उपायुक्त (समन्वय) का रहेगा तथा कार्य हेतु तकनिकी सपोर्ट के लिए **सिस्टम एनालिस्ट** उत्तरदायी होंगे। भविष्य में धारा 6(1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र **आर.टी.आई.** काउण्टर पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के क्षेत्रवार प्राप्त किये जायेगे, **ताकि** आवेदक को सूचना शीघ्र एवं सुगमता से प्राप्त हो सके।
5. आवेदक को सूचना डाक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का होगा। तथा उनके द्वारा आर.टी.आई. काउण्टर पर धारा 6(1) एवं

8

-463-

13 | 10

धारा 19(1) के प्रकरणों की पालना अंकित करने हेतु निर्धारित प्रफोर्मा में कमशः संबंधित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्राचार का पृष्ठांकन आर.टी.आई. काउण्टर को किया जायेगा।

6. लोक सूचना अधिकारियों द्वारा धारा 19(1) के अन्तर्गत प्राप्त प्रथम अपील, मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील एवं सूचना आयोग में परिवाद प्रस्तुत होने पर ऐसे प्रकरणों में संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश कर प्राधिकरण का पक्ष लिखित में प्रस्तुत किया जायेगा ताकि उसका रिकार्ड एवं प्राधिकरण हित सुरक्षित रहें। चूंकि ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति आक्षेपित की जा सकती है।

7. समस्त लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में निर्देशित एवं वर्णित रजिस्टरों का संधारण किया जायेगा। उपायुक्त (स्टोर) निर्धारित प्रोफार्मा में पर्याप्त मात्रा में रजिस्टर छपवाकर उपलब्ध करवायेगे।

8. समस्त लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर धारा 6(1) एवं प्रथम अपील धारा 19(1) को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निस्तारण किया जावेगा। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के संबंध में किसी प्रकार की अनभिज्ञता अक्षम्य रहेगी एवं भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण सामने आने पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

(हस्ताक्षर)

जयपुर विकास आयुक्त

(अ) प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।

(ब) निम्न लोक सूचना अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (अभियांत्रिकी/वित्त/विधि/परियोजना/आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
3. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन)/उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
4. उपायुक्त (जोन-1 से 12), जविप्रा, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट जविप्रा, जयपुर।

(स) अन्य को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर।
2. उपायुक्त (समन्वय/प्रशासन/स्टोर/वाहन), जविप्रा, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड।
5. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

सचिव

जविप्रा, जयपुर।